



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ



पत्रांक : क०सेल / (88-2) / 2019-१८

दिनांक 22-8-2019

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजनान्तर्गत 100 मण्डी समितियों में इण्टरनेट लीज लाइन की सुविधा प्रदान की गयी है। विभिन्न मण्डी समितियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस सुविधा में कभी-कभी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ई-नाम के कार्य नहीं हो पाते हैं।

अतः सभी ई-नाम मण्डियों को इण्टरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था के लिये आवश्यकतानुसार 2-3 Data Dongle/Wireless Data Card रखने तथा उस पर वार्षिक रू० 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपया मात्र) प्रति मण्डी समिति की दर से व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मण्डी समितियों अपने विविध क्रय हेतु निर्धारित बजट से इसका उपयोग कर सकती हैं तथा आवश्यकतानुसार मद में धन उपलब्ध न होने की दशा में परिषद से औचित्यपूर्ण धनमांग कर सकते हैं जिससे राष्ट्रीय कृषि बाजार तथा ई-मण्डी के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

(जितेंद्र प्रताप सिंह)
मण्डी निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उ०प्र०।
2. समस्त सं० उपनिदेशक(प्रशा०/विप०) मण्डी परिषद, उ०प्र०।
3. समस्त उपनिदेशक(निर्माण) मण्डी परिषद, उ०प्र०।
4. समस्त ई-नाम मण्डी समितियों, उ०प्र०।

(जितेंद्र प्रताप सिंह)
मण्डी निदेशक